प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास (शहरी)

नियम व शर्तें

भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन का शुभारम्भ दिनांक 25.06.2015 को किया गया है तथा मिशन के क्रियान्वयन हेतु "स्कीम दिशा-निर्देश 2015" को जारी किये गये हैं। यह मिशन वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्र के सभी पात्र परिवारों/लाभार्थियों को आवास प्रदान करने के लिये क्रियान्वयन हेतु अभिकरणों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करेगा। मिशन के अर्न्तगत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डब्लू0एस0) के परिवारों कों लाभान्वित किया जायेगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डब्लू0एस0) रू0 3.00 लाख तक वार्षिक आय वाले परिवार माने जायेगें। मिशन का उद्देश्य आधारभूत सिविक अवस्थापना सहित 30 वर्गमी0 के कारपेट एरिया तक के आवासों के निर्माण में सहायता प्रदान करना है।

1.0 **योजना का नाम :** प्रधानमंत्री आवास योजना, सबके लिए आवास ए.एच.पी.(शहरी)-दुर्बल आय वर्ग (ई0डब्लू0एस0)

2.0 **योजना का विवरण :-**

2.1 **स्थिति :-**

प्रस्तावित भवन प्राधिकरण द्वारा विकसित की जा रही उन्नाव (बाहर नगर पालिका), कॉशीराम कालोनी के निकट स्थित है।

2.2 **भवनों का अनुमानित कारपेट एरिया :-**

भवनों का अनुमानित कारपेट एरिया अनुलग्नक -1 के स्तम्भ-(5) में अंकित है।

2.3 **भवनों की संख्या :-**

भवनों की संख्या अनुलग्नक -1 के स्तम्भ-3) में अंकित है।

2.4 **भवनों की सीलिंग कॉस्ट :- रू0 4.50 लाख**

केन्द्रीय अंशदान (अनुदान)	रू0 1.50 लाख
राज्य अंशदान (अनुदान)	रू0 1.00 लाख
लाभार्थी अंशदान (अनुदान)	रू0 2.00 लाख

2.5 **पंजीकरण शुल्क :-**

शासनादेश सं0-646/आठ-1-17-36 विविध /2017 दिनांक 30 मई 2018 के अनुसार रू0 5,000.00 (रू0 पॉच हजार मात्र)

3.0 पात्रता :-

3.1 शासनादेश सं0-1855/आठ-1-17-80 विविध /2010 दिनांक 05 सितम्बर 2017 के क्रम में सूडा, उन्नाव द्वारा चिन्हित/चयनित लाभार्थी ही आवेदन हेतु पात्र है।

3.2 ऐसे आवेदक जिन्होंने भारत सरकार/राज्य सरकार की किसी आवासीय योजना के अर्न्तगत अनुदान/छूट का लाभ प्राप्त करके आवास प्राप्त किया हो, ऐसे लाभार्थी पात्र नही होगें।

4.0 **आवेदन कैसे करें :-**

4.1 पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण के नाम का रू0 5,000.00 का (रू0 पॉच हजार मात्र) का रेंखाकित बैंक ड्राफ्रट/बैंकर्स चेक/नगद, जो उन्नाव में भुगतान योग्य हो, संलग्न कर एच0 डी0 एफ0 सी0 बैंक, उन्नाव में जमा करना होगा।

4.2 आवेदन पत्र के साथ संलग्न चालान की चार प्रतियॅा भर कर देनी होगी, जो इस पुस्तिका के अंत में संलग्न है।

4.3 उक्त योजना हेतु **ऑनलाईन आवेदन** करने के लिए प्राधिकरण के वेब पोर्टल www.usdaunnao.in पर पंजीकरण पुस्तिका का मूल्य रू0 180/- + पंजीकरण धनराशि रू0 5000/- कुल रू0 5180/- का भुगतान करते हुए पंजीकरण कराया जा सकता है।

5.0 **आवंटन :-**

5.1 पात्र आवेदकों को भवनों का आबंटन प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा जारी नवीन आवास नीति दिनांक 12.07.2018 के अनुसार लाटरी के माध्यम से किया जायेंगा।

5.2 **किश्तें :-**

1. आवंटन पत्र जारी होने के उपरान्त लाभार्थी द्वारा एक माह के अन्दर रू0 45,000.00 तथा अवशेष देय धनराशि रू0 1.50 लाख की धनराशि छः तिमाही किश्तों में देय होगी।
2. किश्तों का विलम्ब से भुगतान करने पर 10 प्रतिशत साधारण ब्याज देय होगा।

6.0 **समर्पण/निरस्तीकरण :**

6.1 आवेदक लाटरी से पूर्व पंजीकरण धनराशि वापस प्राप्त कर सकते है, किन्तु लाटरी की तिथि निर्धारण की सूचना प्रकाशित होने के उपरान्त पंजीकरण धनराशि वापस नही होगी।

6.2 यदि आवेदक द्वारा आवंटित भवन का समर्पण किया जाता है, तो उस स्थिति में सर्म्पूण पंजीकरण धनराधि जब्त कर ली जायेगी।

6.3 यदि आवंटी भुगतान विवरण के अनुसार लगातार दो किश्तें अदा नही करता है, तो भवन आबंटन निरस्त करते हुए आवंटन धनराशि में 20 प्रतिशत कटौती कर अवशेष धनराशि वापस कर दी जायेगी, जिसके लिये आवंटी स्वयं उत्तरादायी होंगें।

7.0 **आरक्षण :**

शासनादेश सं0 1022/आठ-1-18-93 विविध /2018 दिनांक 11 जुलाई, 2018 के क्रम में लाभर्थियों को आवंटित किये जाने वाले भवनों में नियमानुसार “वरीयता नीति” की व्यवस्था की जायेगी।

(अ) वर्टिकल वरीयता

क्र0सं0	श्रेणी	वर्टिकल वरीयता
1	अनुसूचित जाति	21
2	अनुसूचित जनजाति	2
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	27

(ब) हारिजन्टल वीरीयता

क्र0सं0	श्रेणी	हारिजन्टल वरीयता प्रतिशत
1	दिव्यांगजन	05% (वरीयता-भूतल के भवन/ फ्लैट)
2	विधवा/एकल महिला	08%
3	उभयलिंगी	5%
4	अल्पसंख्यक	अन्य पिछड़ावर्ग में पूर्व से अनुमन्य है।
5	वरिष्ट नागरिक	10% (वरीयता-भूतल के भवन/ फ्लैट)

8.0 **लाटरी प्रक्रिया :-**

8.1 योजना के लाटरी के समय उपस्थित होने के इच्छुक आवेदकों की उपस्थिति में शासन द्वारा गठित लाटरी समिति द्वारा लाटरी निकालकर भवन का आवंटन किया जायेगा। लाटरी की तिथि एवं स्थान की सूचना व्यक्ति विशेष को अलग से नही दी जायेगी। उक्त सूचना का प्रकाशन समाचार पत्रों के माध्यम से तथा प्राधिकरण के वेब पोर्टल www.usdaunnao.in के माध्यम से किया जायेगा। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की आपत्ति प्राधिकरण द्वारा स्वीकार नही की जायेगी। किसी भी आवेदक द्वारा किसी भवन विशेष हेतु कोई भी क्लेम स्वीकार नही होगा।

8.2 योजना हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रारम्भिक जॉच के उपरान्त आवेदन पत्रों की सूची, लाटरी से पूर्व प्राधिकरण की वेबासइट पर तीन दिन की अवधि के लिए, आवेदकों से उक्त सूची में प्रविष्टियों के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति (यदि कोई हो) आमंत्रित करने हेतु प्रदर्शित की जायगी । सूची की प्रविष्टियों पर आापत्ति व आवश्यक संशोधन हेतु आवेदक निर्धारित अवधि में लिखित रूप से आवेदन कर सकता है। निर्धारित अवधि के उपरान्त किसी भी आपत्ति पर विचार नही किया जायेगा एवं प्रविष्टि सूची के आधार पर अर्हता सम्बन्धी निर्णय लेकर लाटरी हेतु प्रस्तावित कुल भवनों की सं0 से 10 प्रतिशत अधिक लाभार्थियों की सूची तैयार कर लाटरी की जायेगी, जिसकी सूचना दैनिक समाचार पत्रों में तथा प्रधिकरण के वेब पोर्टल www.usdaunnao.in पर दी जायेगी।

8.3 लाटरी से चयनित प्रतीक्षा सूची के लाभार्थियों को पंजीकरण धनराशि वापसी लाटरी की तिथि से एक वर्ष पश्चात् की दशा में प्रचलित एफ0डी0आर0 की दर से प्राधिकरण द्वारा ब्याज सहित पंजीकरण धनराशि वापस की जायेगी।

9.0 **असफल आवेदकः-**

9.1. जिन आवेदको को भवन आवंटित नही हो पातें है उन्हें पंजीकरण धनराशि बिना ब्याज कें वापस कर दी जायेगी।

10.0 **मिथ्या अभ्यावेदन अथवा तथ्यों का छुपानाः-**

यदि पाया जाता है कि आवेदक द्वारा गलत सूचनायें दी गयी है अथवा उसने किन्ही वास्तविक तथ्यों को छुपाया है तो पंजीकरण के साथ-साथ भवन का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसे भविष्य में होने वाले लाटरी से वंचित कर दिया जायेगा एवं पंजीकरण धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

11.0 **पट्टा विलेखः-**

11.1 भवनों का आवंटन 90 वर्ष की लीज के आधार पर किया जायेगा। शासनदेश सं0 3188 /आठ -1-13-80विविध/2010, दिनांक 05 दिसम्बर ,2013 के प्रस्तर-2 (VIII) के अनुसार ई0डब्लू0एस0 भवनों का विक्रय /हस्तान्तरण आंवटन की तिथि से 05 वर्षो तक प्रतिबन्धित है, परन्तु किसी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा उक्त भवनों के लिये दिये गयें ऋण की वसूली हेतु बन्धक रखे गये भवन की नीलामी/विक्रय हेतु उक्त प्रतिबन्ध लागू नही होगा। नीलामी/विक्रय राशि से शासकीय सब्सिडी भी वसूली जाएगी।

11.2 आवंटी द्वारा समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराकर अपने खर्च पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रारूप में पट्टा विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा प्राधिकरण द्वारा तत्समय की गई दण्डात्मक कार्यवाही आवंटी को मान्य होगी।

12.0 **कब्जा :-**

12.1 इस योजना के भवनों का कब्जा विकास कार्य पूर्ण होने एवं तत्समय तक की किश्तें समयानुसार जमा होने पर रू0 500.00 के स्टैम्प पेपर पर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर भवन का कब्जा हस्तगत किया जायेगा, जिसका व्यय आंवटी द्वारा वहन किया जायेगा।

12.2 यदि आवंटी कब्जे की निर्धारित तिथि तक कब्जा नही लेता है, तो रू0 200.00 प्रतिमाह चौकीदारी शुल्क देय होगी, जिसमें नियमानुसार बढोत्तरी भी की जायेगी।

12.3 आवंटी को समय-समय पर लागू होने वाले समस्त म्यूनिसिपल कर एवं अन्य कर जो स्थानीय निकाय या शासन द्वारा निर्गत नियम एवं उपनियम के अर्न्तगत लगाये जाते हैं, का भुगतान कब्जा लेने की तिथि से समय-समय पर करना होगा।

12.4 भवनों के नियमित अनुरक्षण हेतु लाभार्थियों से निर्धारित मूल्य की 1 प्रतिशत धनराशि कब्जा हस्तानान्तरण के समय “अनुरक्षण फण्ड” में जमा करायी जायेगी।

12.5 वृहद एवं आकस्मिक अनुरक्षण कायों हेतु लाभथियों से निर्धारित मूल्य की 1 प्रतिशत धनराशि कब्जा हस्तानान्तरण के समय “कारपस फण्ड” में जमा करायी जायेगी।

12.6 सुविधाओं का हस्तानान्तरण होने के उपरान्त-उक्त दोनो फण्ड़ों की तत्समय उपलब्ध अवशेष धनराशि आर0डब्लू0ए0 को हस्तगत की जायेगी।

13.0 भवनों का प्रयोग :-

आवंटी द्वारा भवनों का प्रयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिये ही किया जायेगा।

14.0 निर्माण अवधि :-

स्थल विकास सहित भवनों की निर्माण अवधि आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 24 माह होगी।

15.0 अन्य महत्वपूर्ण सूचनायेंः-

15.1 उपरोक्त के अतिरिक्त विशेष परिस्थितियों में किसी भी नियम/शर्तों के संशोधन का सर्वाधिकार उपाध्यक्ष, उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण में निहित होगा, जो समस्त आवेदकों/ आवंटियों को मान्य होंगें।

15.2 योजना के वास्तविक क्रियान्वयन के समय भवनों के क्षेत्रफल में परिवर्तन सम्भव है, जो कि अन्तिम रूप से बाद में सूचित किया जायेगा, जिसे आवंटी को स्वीकार करना होगा।

15.3 इस योजना से सम्बन्धित प्रत्येक मामले में उपाध्यक्ष, उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण, उन्नाव का अन्तिम निर्णय मान्य होगा।

15.4 किसी भी विवाद की दशा में उन्नाव कोर्ट को ही अधिकार क्षेत्र प्राप्त होगा।

उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण

प्रधान मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत उन्नाव (बाहर नगर पालिका), कांशीराम कालोनी के निकट

प्रस्तावित 480 भवनो का विवरण

अनुलग्नक-1

क्र. सं.	तल	भवनों की संख्या	निर्माण	कारपेट एरिया (वर्ग.मी0)	सीलिंग कॉस्ट (रू0 में)	पंजीकरण धनराशि (रू0)
1	2	3	4	5	6	7
1	भूतल तल, द्वितीय तल एवं तृतीय तल	480	01 लिविंग रूम, 01 बेड रूम, 01 किचन, ट्वायलेट, बाथरूम, बालकनी	22.77	4,50,000.00	5,000.00

(*) भारत सरकार का अनुदान (अशंदान) रू0 1.50 लाख तथा राज्य सरकार का अनुदान (अशंदान) रू0 1.00 लाख सम्मिलित है। यद्यपि आवंटी को रू0 2.00 लाख के मूल्य पर ही भवन दिये जायेगें।

पंजीकरण आवेदन पुस्तिका एच0डी0एफ0सी0 बैंक, उन्नाव से प्राप्त की जा सकती है।	खाता सं0 : 50100238175563 IFSC Code : HDFC0001918 शाखा- उन्नाव

- पंजीकरण आवेदन पुस्तिका का मूल्य 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित रू0 180.00 है।
- आवेदन पत्र के साथ वॉछित पंजीकरण धनराशि नकद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से उक्त बैंक की निर्दिष्ट शाखा में जमा की जायेगी।
- आवेदन पत्र प्राधिकरण के वेब पोर्टल www.usdaunnao.in से डाउनलोड कर निर्धारित पंजीकरण आवेदन पुस्तिका का मूल्य रू0 180.00 (18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित) जमा कर आवेदन किया जा सकता है।
- बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय होगा।

प्रस्तावित यूनिट प्लान

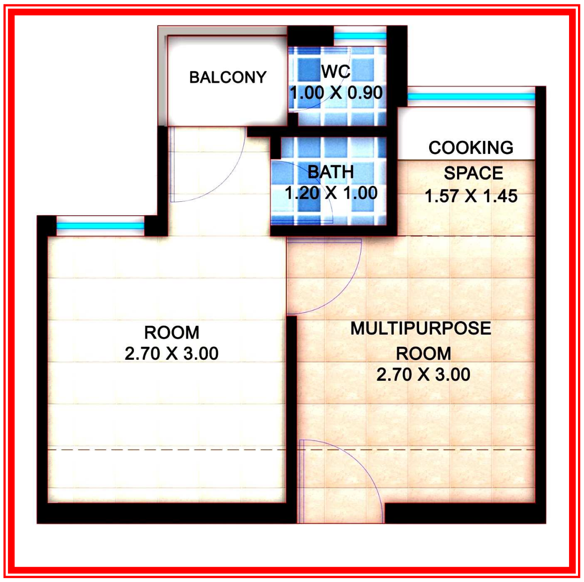

उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण, उन्नाव

विशेष पंजीकरण -2018 (प्रथम चरण)

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) - सबके लिए आवास भागीदारी में किफायती आवास घटक के अर्न्तगत योजना 2018 में पंजीकरण हेतु आवेदन-पत्र

पंजीकरण सं0.................. फार्म सं0....................

(केवल कार्यालय प्रयोगार्थ)

वर्तमान कलर फोटो हस्ताक्षर सहित

1. आवेदक का नाम ....
2. पिता/पति का नाम ....
3. सूडा/डूडा, उन्नाव में पंजीकरण प्रमाण पत्र की संख्या..............................
4. आधार न0..
5. पत्राचार का पूर्ण पता...
   पिन सं0 ....
6. लिंग (पुरूष-01, महिला-02, उभयलिंगी-03) [ ]
7. धर्म कोड सं0 : हिन्दु-01, मुस्लिम-02, ईसाई-03, सिक्ख-04, जैन-05, बौद्ध-06, पारसी-07, अन्य-08
   कोड संख्या [ ]
8. (अ) जाति कोड सं0 : सामान्य-01, अनुसूचित जाति-02, अनुसूचित जनजाति-03, अन्य पिछड़ा वर्ग-04, अन्य वर्ग-05 कोड संख्या [ ]
   (ब) कोड सं0 : दिव्यांग-01, विधवा-02, उभय लिंगी-03, वरिष्ठ नगरिक-04
   कोड संख्या [ ]
9. आवेदक की बैंक का ब्यौराः-
   क- बैंक और शाखा का नामः ....
   ख- बैंक खाता संख्याः ....
   ग- बैंक का आई.एफ.सी. कोड संख्या..
10. क्या आवेदक विकलांग है (हॉ/नही) [ ]
11. वैवाहिक स्थिति :-
    (विवाहित-01, अविवाहित-02, एकल महिला/विधवा-03,) कोड संख्या [ ]
12. दूरभाष नं0 [| | | | | | | | | |]

मोबाइल नं0 [| | | | | | | | | |]

संलग्नक- निम्न प्रमाण पत्रों की स्व-हस्ताक्षरित छायॉप्रति।

आरक्षण विशेष का प्रमाण पत्र (जिलाधिकारी/सक्षम द्वारा निर्गत), सूडा/डूडा, उन्नाव में पंजीकरण प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड की प्रति तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत विकलांगता/दिव्यागता प्रमाण पत्र की प्रति।

(लाभार्थी/आवेदक)
हस्ताक्षर/अगूंठा
पत्राचार का पूर्ण पता
मो.नं0. ....

नामित व्यक्ति एवं पारिवारिक सूचना
NOMINATION AND FAMILY DETAILS

1. नामित व्यक्ति का नाम ....
(Name of Nominee)
नामित अवस्यक होने के दशा मे। अवयस्क के अभिभावक का नाम व पता
(Guardian Name in case of Minor)
....
....
....

आवेदक की फोटो

2. परिवार के सदस्यों की संख्या..
(Details of Family Members with Name)

परिवार के सदस्यों का विवरण

क्रमांक	नाम	आयु	आवेदक के साथ सम्बन्ध का विवरण
1. 2. 3. 4.			

उपरोक्त विवरण की सत्यता मैं स्वयं प्रमाणित करता हूँ।

दिनांक :- आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं एतद्द्वारा शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि आवेदन-पत्र में क्रमांक 1 सं 11 तक दी गई सूचना मेरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार पूर्ण रूप से सत्य है और प्राधिकरण के सभी नियम व शर्तें मुझें मान्य हैं। इस शपथ पत्र में कुछ भी छिपाने का प्रयत्न नही किया गया है। यदि मेरे द्वारा किये गए में बयान में कुछ भी गलत अथवा असत्य हो, मैने कोई महत्वपूर्ण बात छिपाई हो तो अन्य अधिकारों के अतिरिक्त उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण को पूरा-पूरा अधिकार होगा कि आवंटन/रजिस्ट्रेशन रद्द कर दें, पुनः कब्जा ले लें और इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा जमा धन को जब्त कर लें और मेरे विरूद्ध जो भी कार्यवाही उचित समझे करें, उसमें मुझें कोई आपत्ति नही होगी।

दिनांकः- आवेदक के हस्ताक्षर

उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण, उन्नाव	उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण, उन्नाव
चालान संख्या **आवेदक प्रति**	चालान संख्या **बैंक प्रति**
HDFC BANK	HDFC BANK
चालान फार्म	**चालान फार्म**
Pan No. AAAFU7188D दिनांक...........	Pan No. AAAFU7188D दिनांक..............
आवेदक का पूरा नाम...	आवेदक का पूरा नाम...
आवेदक का पूरा पता..	आवेदक का पूरा पता...
....	....
योजना का नामः...	योजना का नामः..
आवेदित भवन की श्रेणीः..	आवेदित भवन की श्रेणीः..
पंजीकरण धनराशि (अकों में)ः....................................	पंजीकरण धनराशि (अकों में)ः.......................................
धनराशि (शब्दों में)ः...	धनराशि (शब्दों में)ः..
बैंक का नाम जहाँ जमानत धनराशि ः...............................	बैंक का नाम जहाँ जमानत धनराशिः..................................
....	....
बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संख्या...................दिनांक.............	बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संख्या...................दिनांक................
ड्राफ्ट निर्गत करने वाले बैंक/शाखा का नामः........................	ड्राफ्ट निर्गत करने वाले बैंक/शाखा का नामः..........................
....	....
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर एवं मोहर आवेदक का हस्ताक्षर	प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर एवं मोहर आवेदक का हस्ताक्षर

उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण, उन्नाव	उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण, उन्नाव
चालान संख्या **प्राधिकरण लेखा प्रति**	चालान संख्या **कार्यालय प्रति**
HDFC BANK	HDFC BANK
चालान फार्म	**चालान फार्म**
Pan No. AAAFU7188D दिनांक...........	Pan No. AAAFU7188D दिनांक..............
आवेदक का पूरा नाम..	आवेदक का पूरा नाम...
आवेदक का पूरा पता...	आवेदक का पूरा पता...
....	....
योजना का नामः..	योजना का नामः..
आवेदित भवन की श्रेणीः...	आवेदित भवन की श्रेणीः..
पंजीकरण धनराशि (अकों में)ः....................................	पंजीकरण धनराशि (अकों में)ः.......................................
धनराशि (शब्दों में)ः...	धनराशि (शब्दों में)ः...
बैंक का नाम जहॉ जमानत धनराशि ःः..............................	बैंक का नाम जहॉ जमानत धनराशिः..................................
....	....
बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संख्या...................दिनांक.............	बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संख्या...................दिनांक................
ड्राफ्ट निर्गत करने वाले बैंक/शाखा का नामः........................	ड्राफ्ट निर्गत करने वाले बैंक/शाखा का नामः..........................
....	....
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर एवं मोहर आवेदक का हस्ताक्षर	प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर एवं मोहर आवेदक का हस्ताक्षर